

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4873/2023

प्रकाश चंद्र सोनी पुत्र लेफ्टिनेंट श्री राम विलास सोनी, उम्र लगभग 55 वर्ष साल, निवासी गली नंबर 4, शिव शक्ति नगर, महामंदिर तीसरी पोल, जोधपुर मेट्रो (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री पी.सी. सोलंकी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विक्रम शर्मा, पी.पी.

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

05/07/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत विद्वान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले) संख्या 2, जोधपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 4/2021 में पारित दिनांक 27.07.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक गवाह यानी घनश्याम सोनी (पीडब्लू/15) को वापस बुलाने/पुनः बुलाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य जिसके कारण उक्त धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया गया, वे इस प्रकार हैं:

2.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1) (डी) और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए राजेंद्र सिशोदिया और अन्य के खिलाफ एफआईआर संख्या 73/2010 दिनांक 06.04.2024 को पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो, सीपीएस, जयपुर में दर्ज की गई थी। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमा चल रहा है।

2.1 पीडब्लू/15, घनश्याम सोनी की मुख्य परीक्षा 27.11.2017 को शुरू हुई और 13.02.2019 को समाप्त हुई। इसके बाद, उक्त गवाह की जिरह 19.11.2022 को शुरू हुई। उक्त तिथि को जिरह पूरी नहीं हो सकी क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील दूसरी अदालत में व्यस्त थे। हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश से जिरह बंद कर दी गई।

2.2 इसके बाद, याचिकाकर्ता की ओर से धारा 311 सहपठित धारा 231 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष जिरह के लिए उपरोक्त गवाह को वापस बुलाने के लिए दायर किया गया। 27.07.2023 के आपत्तिजनक आदेश के तहत, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान सरकारी अभियोजक को भी सुना है और केस फाइल का भी अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में लिए गए आधारों के आधार पर तर्क दिया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय धारा 311 के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि एक व्यक्ति जो एक महत्वपूर्ण गवाह है, उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए, साथ ही मामले में न्यायपूर्ण निर्णय की आवश्यकता भी होनी चाहिए। इसलिए, गवाह की पूरी जिरह के अभाव में, रिकॉर्ड पर सही तथ्यात्मक स्थिति उपलब्ध नहीं होगी। याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण गवाह से जिरह करने के उसके कानूनी अधिकार से अवैध रूप से वंचित किया गया है।

4.2 विद्वान न्यायालय ने दिनांक 27.07.2023 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय पी.डब्लू./15 घनश्याम सोनी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिए गए अवसरों की संख्या पर विचार नहीं किया है। जबकि, नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण याचिकाकर्ता को उक्त गवाह से जिरह करने के लिए एक भी स्थगन नहीं दिया गया।

4.3 उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है कि पी.डब्लू./15 घनश्याम सोनी महत्वपूर्ण गवाहों में से एक है और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उसे पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। इसलिए, उसकी जिरह आवश्यक है। इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

5. विद्वान पी.पी. आक्षेपित आदेश का बचाव करते हैं और कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

6. विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और याचिका की विषय-वस्तु तथा उसमें निहित आधारों के साथ-साथ आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात यह पता चलता है कि निचली अदालत इस मानसिकता से प्रभावित हो गई है कि यदि जिरह के लिए एक और अवसर दिया जाता है तो इससे 10 वर्ष पूर्व शुरू हुए मुकदमे में देरी होगी। यद्यपि, याचिकाकर्ता (अर्थात् अभियुक्त) की किसी गलती के बिना जिरह नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसी समय उसका वकील किसी अन्य अदालत में उपस्थित था, जिसके लिए समय मांगा गया था।

7. न केवल विद्वान निचली अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि यह उक्त गवाह से जिरह करने का पहला अवसर था। याचिकाकर्ता ने पहले न तो कोई स्थगन मांगा था और न ही ऐसा कोई अवसर था, क्योंकि गवाह को जिरह के लिए पहले कभी नहीं बुलाया गया था। हालांकि, बेशक, वह मुख्य परीक्षा के लिए पहले आया था।

8. दूसरी ओर, मामले का एक और पहलू है, यानी अभियोजन पक्ष को उक्त गवाह यानी घनश्याम सोनी (पीडब्लू/15) के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन जब याचिकाकर्ता के उक्त गवाह से जिरह करने के अधिकार की बात आई, तो उसे पहले ही दिन जब्त कर लिया गया, वह भी उसकी कोई गलती न होने पर, क्योंकि उसका वकील उसी समय दूसरी अदालत में था और वह उपस्थित नहीं हो सका।

9. यह भी विवादित नहीं है कि उक्त गवाह शिकायतकर्ताओं में से एक होने के नाते एक महत्वपूर्ण गवाह है। याचिकाकर्ता को जिरह के अधिकार से वंचित करने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसका पूरा बचाव खतरे में पड़ जाएगा और उसे अपूरणीय क्षति होगी।

10. समग्र परिस्थितियों में, मेरा मानना है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक और अवसर न देकर बहुत अधिक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। ऐसा करने के उसके अधिकार को छीनना बहुत कठोर था, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने वकील को नियुक्त करने की सभी व्यवस्थाएं की थीं, जिन्हें, जैसा कि पता चला, उसी समय किसी अन्य मामले में सहायता के लिए किसी अन्य अदालत में बुलाया गया था।

11. इस आधार पर याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले) संख्या 2, जोधपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 4/2021 में पारित दिनांक 27.07.2023 के आदेश को निरस्त किया जाता है।

12. विधिक सहायता सेवा, जोधपुर में 10,000/- रुपए की राशि जमा कराने की शर्त पर याचिकाकर्ता को उपरोक्त गवाह से जिरह करने का एक और अवसर दिया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्य के बोझ या अन्य कारण से विद्वान ट्रायल कोर्ट अपने विवेक से मामले को स्थगित करना चाहता है और आगे अवसर देना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।